

Form No. III



फर्द अहकाम
(नियम 26)

5(M) 2021/39

अज अदालत – उपखण्ड अधिकारी लूनकरणसर
भवरलाल आदि बनाम सरकार

किस्म मुकदमा:- 136 एलआरएक्ट

नं. मुकदमा.....32/2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12/02/21	<p>आज यह पत्रावली तहसीलदार लूनकरणसर से प्रस्ताव प्राप्त होने पर मुरतीब की गई। दर्ज रजिस्टर की जावे। प्रार्थी भवरलाल आदि द्वारा निवेदन किया गया कि पटवार मण्डल कालवास के चक 14LKD के मु.नं. 71/24 के किला नम्बर 21/3 रकबा 0.18 बीघा खाता संख्या 143 में दाखादेवी पत्नी स्व. परतूराम वगै. के नाम से दर्ज रिकोर्ड हैं। खाता संख्या 160 में मु.नं. 71/24 के किला नम्बर 21/2 रकबा 0.18 बीघा शान्ति देवी पत्नी स्व. लालूराम वगै. के नाम से दर्ज रिकोर्ड हैं। सम्वत् 2055-58 में उक्त खातेदारान के सहवन से किला नम्बर 21 दोनो खातों में अंकन हो गया। जबकि किला नम्बर 22 किसी भी खाते में दर्ज नहीं हैं। मौके पर किला नम्बर 22 पर शान्तिदेवी पत्नी लालूराम वगैराह का कब्जा हैं। तथा किला नम्बर 21 पर दाखादेवी पत्नी स्व. परतूराम वगै. का कब्जा कास्त हैं। अतः मौका स्थिति के आधार पर मु.नं. 71/24 के किला नम्बर 21 पर शान्तिदेवी व किला नम्बर 22 पर दाखादेवी वगैराह करने की रिपोर्ट पटवार हल्का से प्राप्त हैं। हमने तहसीलदार लूनकरणसर से प्राप्त प्रस्ताव का अवलोकन किया। प्रस्ताव में पटवार हल्का कालवास की रिपोर्ट व भू अभिलेख निरीक्षक की जांच टिप्पणी एवं तहसीलदार राजस्व लूनकरणसर द्वारा दुरुस्त करने की अनुशंसा की गई हैं। संलग्न दस्तावेजो एवं रिपोर्ट अवलोकन बाद दुरुस्ती उचित प्रतीत होती हैं। अतः मुताबिक रिपोर्ट चक 14 एलकेडी के खाता संख्या 143 के मु.नं. 71/24 के किला नम्बर 21/3 रकबा 0.18 अन.क. के स्थान पर किला नम्बर 21/2 रकबा 0.18 बीघा अन.क. एवं खाता संख्या 160 के मु.नं. 71/24 के किला नम्बर 21/2 में 0.18 बीघा अन.क. के स्थान पर किला नम्बर 22/2 में 0.18 बीघा अन.क.माण्ड एवं खाता संख्या 01 में मु.नं. 71/24 के किला नम्बर 22में 0.02 बीघा अन.क. के स्थान पर किला नम्बर 22/1 में 0.02 बीघा अन.क. एवं खाता संख्या 160 से किला नम्बर 21/2 में 0.18 अन.क. हटाया जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार लूनकरणसर को मुताबिक आदेश दुरुस्ती अमलदरामद करने बाबत आदेश की प्रमाणित प्रति प्रेषित की जावे। पत्रावली निर्णय में शुमार हो कर हस्ब जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।</p>	 

12/2/2021
(भागीरथ शास्त्री)
उपखण्ड अधिकारी
लूनकरणसर